भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2379

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण 1948 (शक

जोखिमग्रस्त श्रमिकों के लिए जलवायु अनुकूलनशीलता और सामाजिक सुरक्षा

†2379. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी वर्षा और बाढ़ सहित चरम मौसम की घटनाओं के अनौपचारिक और दिहाड़ी वेतन भोगी कामगारों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रतिकूल जलवायवीय परिस्थितियों के कारण जिन कामगारों की आजीविका बाधित हो गई है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय दिशा-निर्देश मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौसम संबंधी कार्य व्यवधानों से प्रभावित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का जोखिमग्रस्त कामगारों के लिए जलवायु अनुकूलनशीलता रूपरेखा तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत सरकार देश भर में भारी वर्षा और बाढ़, लू, चक्रवात आदि सहित मौसम की विभिन्न चरम घटनाओं की निगरानी करती और उनका रिकॉर्ड रखती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी) तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य कृषि, जल और जैव विविधता सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति आघातसहनीयता को बढ़ाना और संवेदनशीलता को कम करना है।

जारी-2/--

श्रम और रोजगार मंत्रालय कामगारों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी लू संबंधी परामार्मिक जारी करता है। मंत्रालय देश भर में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के प्रतिकूल प्रभावों से कामगारों और मजदूरों को बचाने के लिए तत्काल निवारक और शमन उपाय करने का आग्रह करते हुए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अपने संबद्ध संगठनों को भी परामार्मिक संबंधी जारी करता है।

इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से शहरी जलवायु मंचों सहित देश भर में निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इन प्रयासों ने लू सहित मौसम की चरम घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लू की स्थिति के प्रति संवेदनशील 23 राज्यों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त रूप से हीट एक्सन प्लान कार्यान्वित की गईं।
- तापमान और लू की स्थिति के विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान लगाने के बाद मौसम संबंधी और मासिक आउटलुक जारी किया जाता है। समय पर जनता तक पहुँच बनाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान की जानकारी प्रसारित की जाती है।
- राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को योजना बनाने में मदद करने के लिए सम्पूर्ण भारत का जिला-वार लू वल्नेरेबिलिटी एटलस तैयार किया गया है।
- भारत के गर्म मौसम संबंधी जोखिम विश्लेषण मानचित्र तापमान, हवा के पैटर्न और आर्द्रता के स्तर पर दैनिक डेटा शामिल होता है।
- ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से काफी पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लू की तैयारियों संबंधी बैठकों का एक अनुक्रम आयोजित किया जाता है, और मौसम के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें होती हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) तैयार की थी और 2019 में इसे अद्यतित एवं संशोधित किया था। एनडीएमपी आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को एक ढांचा और दिशा प्रदान करती है। यह देश में आपदा आघातसहनीयता विकास को और मजबूत करने का एक कार्यनीतिक उपकरण है।

जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य सरकारें भारत सरकार के स्वीकृत मदों और मानदंडों के अनुसार अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं।
